

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 14

उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	262.90	48.65	311.55	10293.49	66.32	10359.81	7331.90	69.34	7401.24	4332.50	84.42	4416.92
<i>वसूलियां</i>	-38.99	...	-38.99	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	125.43	0.87	126.30	133.34	1.27	134.61	139.27	1.27	140.54	129.08	0.82	129.90
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>उपभोक्ता संरक्षण</b>												
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष	...	...	...	10000.00	...	10000.00	7000.00	...	7000.00	4019.83	...	4019.83
3. कॉन्फोनेट	36.21	...	36.21	42.00	...	42.00	70.00	...	70.00	52.00	...	52.00
4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	24.55	...	24.55	17.99	...	17.99	17.99	...	17.99	17.99	...	17.99
5. उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	6.20	...	6.20	8.00	...	8.00	10.49	...	10.49	8.90	...	8.90
6. मूल्य निगरानी ढांचा	7.24	...	7.24	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7. उपभोक्ता फोरम का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता	4.99	...	4.99	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	11.00	...	11.00
	-2.00	...	-2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>2.99</i>	<i>...</i>	<i>2.99</i>	<i>5.00</i>	<i>...</i>	<i>5.00</i>	<i>7.00</i>	<i>...</i>	<i>7.00</i>	<i>11.00</i>	<i>...</i>	<i>11.00</i>
8. उपभोक्ता कल्याण निधि												
8.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	36.85	...	36.85	56.20	...	56.20	56.20	...	56.20	56.20	...	56.20
8.02 उपभोक्ता कल्याण निधि से प्राप्त राशि	-36.85	...	-36.85	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-उपभोक्ता संरक्षण</b>	<b>77.19</b>	<b>...</b>	<b>77.19</b>	<b>10073.00</b>	<b>...</b>	<b>10073.00</b>	<b>7105.48</b>	<b>...</b>	<b>7105.48</b>	<b>4109.72</b>	<b>...</b>	<b>4109.72</b>
<b>वैश्विक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन</b>												
9. भारतीय मानक ब्यूरो												
9.01 भारत में सोने के संबंध में हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना	0.95	...	0.95	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	13.25	10.73	23.98	17.45	17.55	35.00	17.45	20.57	38.02	23.20	42.60	65.80
11. तेल एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण	7.23	37.05	44.28	12.50	47.50	60.00	12.50	47.50	60.00	13.30	41.00	54.30
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>7.19</i>	<i>37.05</i>	<i>44.24</i>	<i>12.50</i>	<i>47.50</i>	<i>60.00</i>	<i>12.50</i>	<i>47.50</i>	<i>60.00</i>	<i>13.30</i>	<i>41.00</i>	<i>54.30</i>
<b>जोड़-विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन</b>	<b>21.39</b>	<b>47.78</b>	<b>69.17</b>	<b>30.95</b>	<b>65.05</b>	<b>96.00</b>	<b>30.95</b>	<b>68.07</b>	<b>99.02</b>	<b>37.50</b>	<b>83.60</b>	<b>121.10</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>98.58</b>	<b>47.78</b>	<b>146.36</b>	<b>10103.95</b>	<b>65.05</b>	<b>10169.00</b>	<b>7136.43</b>	<b>68.07</b>	<b>7204.50</b>	<b>4147.22</b>	<b>83.60</b>	<b>4230.82</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
12. वास्तविक वसूलियां	-0.10	...	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	0.95	...	0.95	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	59.26	...	59.26	65.72	...	65.72	67.21	...	67.21	70.17	...	70.17
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.12	...	34.12	35.28	...	35.28	38.78	...	38.78	35.66	...	35.66
4. नागरिक आपूर्ति	116.16	...	116.16	9106.72	...	9106.72	6436.34	...	6436.34	3735.52	...	3735.52
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15.42	...	15.42	20.62	...	20.62	20.67	...	20.67	21.02	...	21.02
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	10.73	10.73	...	14.05	14.05	...	16.76	16.76	...	37.52	37.52
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.92	37.92	...	43.42	43.42	...	42.77	42.77	...	36.82	36.82
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>225.91</b>	<b>48.65</b>	<b>274.56</b>	<b>9229.24</b>	<b>57.47</b>	<b>9286.71</b>	<b>6563.90</b>	<b>59.53</b>	<b>6623.43</b>	<b>3863.27</b>	<b>74.34</b>	<b>3937.61</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1008.05	...	1008.05	711.80	...	711.80	413.03	...	413.03
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-2.00	...	-2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	8.85	8.85	...	9.81	9.81	...	10.08	10.08
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-2.00</b>	<b>...</b>	<b>-2.00</b>	<b>1008.05</b>	<b>8.85</b>	<b>1016.90</b>	<b>711.80</b>	<b>9.81</b>	<b>721.61</b>	<b>413.03</b>	<b>10.08</b>	<b>423.11</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** दाल, प्याज तथा आलू का बफर स्टॉक बनाए रखने तथा बाजार में उक्त वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता कराने की व्यवस्था का प्रावधान है ताकि जरूरत पड़ने पर मूल्यों को कम किया जा सके।

3. **कॉनफोनेट:** यह प्रावधान नेटवर्किंग तथा संपूर्ण देश में उपभोक्ता मंचों को हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा तकनीकी सहायता वाले व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए है।
4. **उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार):** यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।
5. **उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ:** यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराया जाए। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वार्षिक बैठकें संचालित करने तथा राष्ट्रीय/विश्व-उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए व्यय।
7. **उपभोक्ता फोरम का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 8.01. **उपभोक्ता कल्याण निधि:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जांच और तुलनात्मक जांच करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
- 8.02. **उपभोक्ता कल्याण निधि से प्राप्त राशि:** सीडब्ल्यूएफ से पूरा किया जाना वाला व्यय, सामान्य पद्धति के अनुसार, प्रारंभ में भारत की संचित निधि से व्यय माना जाएगा, जिसका लेखा एक पृथक लघु-शीर्ष ,उपभोक्ता कल्याण निधि , मुख्य शीर्ष-3456-नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत किया जाएगा।
- 9.01. **भारत में सोने के संबंध में हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।
10. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/अपग्रेडेशन के लिए है जिसमें (आग्नेयास्त्रों को छोड़कर) भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।
11. **तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है। कार्यशील मानक/गौण मानक प्रयोगशालाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।